राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक NRHM/CH/14/189
क्रमांक : 70150-182

दिनांक 25/8/2014
दिनांक : 19.8.14

समस्त मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आर0सी0एच0ओ0

समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास

विषयः–कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) कार्यक्रम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2014 के संचालित के बाबत्

जैसा कि आपको विदित है बच्चों में कुपोषण की रोकथाम एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) कार्यक्रम के तहत 2 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल पिलाने का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम का अगला चरण **15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2014** तक पुरे 6 दिनो तक सभी आंगनवाड़ी केन्द्रो पर संचालित किया जायेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता उसकी क्रियान्वयन में सभी के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः आप से अपेक्षा है कि निम्न निर्देशो को ध्यान न रखतें हुये कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उचित कार्यवाही करेगें :–

1. कार्यक्रम के सफल संचालन एवं जनसहभागिता बढ़ाने हेतु कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की उपयोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
2. जिला/परियोजना/सेक्टर एवं आंगनवाड़ी स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर लें। ताकि आगामी दिनों में कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल की आपूर्ति एवं अन्य प्रशासनिक व्यस्थाएँ पूर्ण की जा सके। 2 से 6 वर्ष के बच्चों की सूचि तैयार कर ली जावें।
3. सभी जिलों में आरसीएचओ के माध्यम से उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास को कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल की आपूर्ति करा दी जायेगी। पिछले चरण में अवशेष रही कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल का उपयोग पहले किया जावें।
4. कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) कार्यक्रम में 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को चिन्हित किया जाना है। इस कार्यक्रम से आंगनवाड़ी की परिधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ आशा–सहयोगिनी के द्वारा एव जिन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी नही है या आंगनवाड़ी है मगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है उन सभी क्षेत्रों के बच्चों को निकट के उपस्वास्थ्य केन्द्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से दवा दिये जाने हेतू आदेश जारी करें।
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ए0एन0एम0, चिकित्सा अधिकारी एवं ICDS विभाग के पर्यवेक्षक तथा परियोजना अधिकारी के साथ बैठ कर अपने–अपने ब्लॉक का कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) का कार्ययोजना तैयार करेगें तथा सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल पिलाया जाना सूनिश्चित करें।

Projectdirectorch@gmail.com
Yashoda.consultant@gmail.com.

6. आंगनवाड़ी केन्द्रो पर निर्धारित समय पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। कार्यकर्ता/आशा–सहयोगिनी घर–घर जाकर कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल की खुराक के लिए बच्चों की पहचान करें।
7. कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल लगभग पुर्णतया सुरक्षित है फिर भी कुछ बच्चों में हल्के दुष्प्रभाव हो सकते है, जो कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते है। विशेष परिस्थिती में उचित देखरेख हेतु जिला, ब्लाक, पंचायत स्तर पर पर्याप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। टोल फ्री नम्बर 104 की सेवायें एवं एम्बूलेन्सेस सेवा तैयार रखी जाये।
8. सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा–सहयोगिनी को आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया गया है यह सुनिश्चित करें।
9. आंगनवाड़ी में पोषाहार देने के बाद ही ये दवाई दी जानी है, अतः दवाई को खाली पेट ना दिया जाये।
10. कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल उन बच्चों को नही दी जायेगी जिन्हे गिर्गी या अन्य कोई बीमारी है।
11. उपनिदेशक ICDS, CMHO, RCHO तथा BCMHO से समन्वय स्थपित कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
12. कार्यक्रम का प्रबोधनः–
    1. महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/जिला स्तर/परियोजना स्तर एवं सेक्टर स्तर के कार्मिक के संयुक्त भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित कर क्षेत्र स्तर पर गतिविधियों का निरिक्षण किये जावें।
    2. कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की दवा ऐलबेण्डाजोल की खुराक से लाभान्वित बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जावें।
    3. कृमि नियंत्रण (डिवार्मिग) की रिपोर्ट 1 नवम्बर 2014 तक राज्य स्तर पर निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर को आवश्यक रूप से भिजवा दी जावें तथा email - maheshsharmagor@gmail.com एवं binay.krsingh@gmail.com पर मेल करें।
    4. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी एवं उपनिदेशक यह सुनिश्चित करें कि जिन आंगनवाड़ियो में कार्यकर्ता नही है या आंगनवाड़ी केन्द्र ही नही है या दुर्गम एव कठिन क्षेत्र है इन क्षेत्रों हेतु निकट के उपकेन्द्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपना एडवान्स में दिनांक सहित Tour Progran। बना कर BCMHO एवं RCHO को प्रस्तूत करेगी RCHO उपनिदेशक आईसीडीएस से उन गॉवो की List लेगे जहॉ आंगनवाड़ी केन्द्र नही है या जहॉ पर केन्द्र है मगर कार्यकर्ता नही है एवं उन गांव की सूचना सम्बन्धित ANM को देगे जिससे वो अपना Tour Program बना कर प्रस्तूत कर सके।
    5. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक आईसीडीएस कम से कम पॉच आंगनवाड़ी / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 3 गॉव का निरीक्षण करेगें, जहॉं पर आंगनवाड़ी केन्द्र नही है।
6. ब्लाक सीडीपीओ एवं ब्लाक सीएमएचओ द्वारा ऐसे क्षेत्रों का अवलोकन अधिक किया जाये जहॉ आंगनवाड़ी केन्द्र नही है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा–सहयोगिनी का पदस्थापन नही है/पद रिक्त है। शहरी क्षेत्रो मे पल्स पोलियो के माईक्रोप्लान के अनुरूप कार्य करें।
7. उक्त कार्यक्रम की उपलाब्धि शत्–प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास करें तथा उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग के कार्मिको का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जावें इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तुरन्त निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जावें।

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राज0 सरकार

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज0 सरकार

क्रमांक NRHM/CH/14/189
क्रमांक : 70183-257

दिनांक 25/8/2014
19.8.14

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव चिकि. स्वा. एवं परि. क. एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.
4. निजी सचिव, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, आरसीएच, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर...।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद् ....।
9. डा. संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूप।
11. प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएँ, को विभागीय वैबसाईट को अपलोड करने हेतु।
12. स्टेट प्रोग्राम मैनेजर डी-वर्म द वर्ल्ड, जयपुर

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राज0 सरकार

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज0 सरकार